

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
संख्या-1567/सत्तर-3-2021-16(28)/2011टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 13 जुलाई, 2021

1. कुलसचिव
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।
2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू किए जाने हेतु जारी शासनादेश दिनांक 23.04.2021 के संदर्भ में प्राप्त पृच्छाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार त्रिवर्षीय स्नातक (तीन विषय वैकल्प आधारित) स्तर के 62 पाठ्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं, जिन्हें ई-मेल द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया गया है तथा उ०प्र०राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट (<https://uphed.gov.in/Council/NEETI2021.aspx>) पर अपलोड किया जा चुका है। स्नातक (शोध सहित) एवं परास्नातक विषयों के पाठ्यक्रमों की सूची एवं जानकारी कलान्तर् में उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि उ०प्र०राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट में निर्णित विषयों के अतिरिक्त आपके विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कोई अन्य विषय संचालित है, तो उसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए तीन विषय विशेषज्ञों के नाम गूगल लिंक (<https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9>) पर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय। यदि कोई विषय एक से अधिक विश्वविद्यालयों में चल रहा हो, तो वह भी सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम नमान पाठ्यक्रम के अनुरूप ही लागू होगा तथा उन विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए 'विषय विशेषज्ञ समूह' गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप न्यूनतम नमान पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष में संचालित मुख्य विषय के किसी पेपर का इलेक्टिव पेपर के रूप में अन्य पाठ्यक्रम (सिलेबस) का सुझाव विषय विशेषज्ञों से अर्जित है तो अपने सुझाव गूगल लिंक (<https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9>) पर दे सकते हैं।

2- शासनादेश संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16 (28)/2011 दिनांक 20-04-2021 के अंतर्गत में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम नमान पाठ्यक्रम एवं 'व्यापक बेसिक क्रेडिट सिस्टम' (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम के संबंध में प्राप्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु निम्नवत् स्पष्ट किया जात है:

1. न्यूनतम सामान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus)

- 1.1 विश्वविद्यालय न्यूनतम सामान पाठ्यक्रम के रूप में उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत सामान रखेगा। उदाहरण के लिये यदि किसी पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम सामान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं, तो विश्वविद्यालय उनमें से कम से कम 70 टॉपिक रखेगा तथा उसके अतिरिक्त 30, 40, 50 या कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप रख सकते हैं।
- 1.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक पेपर के क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं; उक्त पेपर में सम्मिलित टॉपिक्स हेतु कितने-कितने क्रेडिट (व्याख्यानों की संख्या) रखे जाएंगे, यह विश्वविद्यालय तय करेगा।
- 1.3 सूचित है कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में संचालित तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अधिकांश विषयों के कन्टेन्ट में 70-80 प्रतिशत तक टॉपिक तीन वर्ष में सामान हैं तथा तीन वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में पढ़ये जा रहे हैं।

5. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

- 5.1 विद्यार्थी को प्रदेश के लगभग एक सकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस सकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।
- 5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।
- 5.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- 5.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु यह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- 5.5 माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।
- 5.6 माइनर इलेक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other Faculty) से लेना होगा। इसके लिए किसी भी pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।
- 5.7 बहुविषयकता (Multidisciplinary) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- 5.8 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other Faculty) से हो।
- 5.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।
- 5.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं तृतीय वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध शीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पॉस्ट एवं छठे वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।
- 5.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सग अथवा दिवस सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।
- 5.12 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव सरधान में संचालित विद्यार्थी के पेपर में से किया जायेगा। चुने हुए माइनर पेपर की कक्षाएं कैंपस में संचालित उत्ती क्लर्क को कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उनकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।
- 5.13 सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय के छात्रों के लिये माइनर इलेक्टिव पेपर (4 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसी माइनर इलेक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, वेदक परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलेक्टिव पेपर की कक्षाएं विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होंगी एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होगी।

6. कौशल विकास कोर्स (Vocational/ Skill development Courses)

- 6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टरों) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x4 12क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

7. सह-विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses)

- 7.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्ष (त्रि-सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा।
- 7.2 इन छ. सह-विषयों के पाठ्यक्रम ज०प्र० राजा जय्य शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- 7.3 हर सह-विषय/कोर्स को 40 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जे.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

8. शोध परियोजना (Research Project)

- 8.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.आर स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पंचम से ग्यारह सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में तृतीय शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पाचम वर्ष में वृद्ध शोध परियोजना करनी होगी। पी.जी.डी.आर में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्रो. पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।
- 8.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पांचम, षष्ठम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना interdisciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्टरनैटिव ट्रेनिंग/इन्टरनैशिप/ सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- 8.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी, एक उन्ध को सुपरवाइजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- 8.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का समुक्त प्रबंध (Report/Dissertation) जमा करेगा, जिसका सुपरवाइजर वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा समुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।
- 8.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जे.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 8.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जे.पी.ए. की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

9. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

- 9.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेंचर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण करना होगा।
- 9.2 प्रैक्टिकल/इन्टरनैशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेंचर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टरनैशिप/फील्ड वर्क आदि करना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का जार्डनर प्रैक्टिकल/इन्टरनैशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्याभार के बराबर होगा।
- 9.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "एकेडमिक डैक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।
- 9.4 विद्यार्थी न्यूनतम 48 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय राटिफिकेट न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकत है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट

अर्जित करने पर चतुर्वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जे.डी.आर ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी तीन सेमर के क्रेडिट का उपयोग पुन नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट के खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (पारंपरिक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के अन्तर पर डिग्री ले सकता है।

- 9.5 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्रदान करने पर अंतराल की सुविधा होगी, यन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा।
- 9.6 द्वितीय वर्ष में सकारात्मक विशेष परिणामों की रिपोर्ट में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेगे, न कि डिलोग कर्वाँके डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विशेष के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- 9.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट क्लिप्त संख्या में प्राप्त करेगा उसी संख्या में उसे डिग्री दी जायेगी।
- 9.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात् 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन (B.L.Ed.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह इन विषयों में स्नातकोत्तर कर संकायों जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्री-रिक्जिजिट (prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।
- 9.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये नये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

10. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

- 10.1 क्रेडिट रेट्रो-डिशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अधूरे होंगे।
- 10.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमनुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 10.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के अन्तर में परीक्षा के लिये अर्हत प्राप्त करता है, यन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हत परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः उद्धार लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय-सारणी (Time table)

- 11.1 विश्वविद्यालय सभी शिक्षण सस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समझ-समझ पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुरूप एक माह के भीतर तैयार करना सुनिश्चित करें जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का सम्मानार्थक सत्र 2021-22 से क्रियन्वयन किया जा सके।
- 11.2 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करे कि सभी शिक्षण सस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय-सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय उन्

संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएँ अलग समय पर संचालित होती हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो ।

11.3 सभी शिक्षण संस्थान समय-सारणी (Time table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो ।

3 विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि कृपया शासनद्वारा सं० 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 दिनांक 2004/2021 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 से "छात्रों के बेरड क्रेडिट रिकॉर्ड" (CBCS) पर आधारित सेनेस्टर सिस्टम एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को लागू करना सुनिश्चित करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के मध्य अकादमिक क्रेडिट ट्रांसफर सम्भव हो सके।
संलग्नक-यथोक्त।

(मोनिका एस.गर्ग)
उपर मुख् सचिव

संख्या-1567 (1)/सत्तर-3-2021, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- कुलपति, मगरा राज्य/निर्ज विश्वविद्यालय, उ०प्र०
- 2- उपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

14. स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey Research Project	{Minimum Credits} For the year	{Cumulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major 4/5/6 Credits	Major 4/5/6 Credits	Major 4/5/6 Credits	Minor Elective 4/5/6 Credits	Minor 3 Credits	Minor	Major 4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	Other subject Faculty	Vocational Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Industry Faculty related to year subject		
1	I	Th-1(5) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(5) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		45	146
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(5) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(5) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		45	192 Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1 (Qualifying)	1	40	132 Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1 (Qualifying)			
4	VII	Th-3(5) or Th-3(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (4)	52	184 Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-3(5) or Th-3(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	212 Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	1 (5)	1 Research (4) Methodology					1 (Qualifying) Ph.D. Thesis	16	248 PGDIP in Subject Ph.D. in Subject
6,7,8	XII-XVI									

Note: Blue Colour: No. of papers Red colour: Credits Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses; Th-Theory, Pract-Practical